राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या:– 2046 /रा0नि0आ0–3/1125/2010 देहरादून, दिनांक–16.03.2011

संशोधित अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या:–1945/रा0नि0आ0–3/1125/2010 देहरादून, दिनांक 03.03.2011 के द्वारा नगर पालिका परिषद गदरपुर (ऊधमसिंहनगर), टनकपुर (चम्पावत), भवाली (नैनीताल), पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, मंगलौर (हरिद्वार) एवं नगर पंचायत धारचूला (पिथौरागढ़) के विभिन्न प्रकार से संलग्न परिशिष्ठ में उल्लिखित रिक्त सदस्यों के पद/स्थान के उप निर्वाचन हेतु दिनांक 05.04.2011 को प्रात: 8.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक मतदान एवं 07.04.2011 को प्रात: 8.00 से कार्य समाप्ति तक मतगणना की तिथि व समय अधिसूचित की गयी थी।

जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल ने अपने फैक्स पत्र संख्या–450/स्था0नि0नि0/2010–11 दिनांक 14 मार्च, 2011 द्वारा एवं कतिपय जनपदों के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा अवगत हुआ है कि दिनांक 05.04.2011 को उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर (नैनीताल) द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.04.2011 को इण्टरमीडिएट एवं हाईस्कूल के परीक्षार्थियों की विभिन्न विषयों की परीक्षा निर्धारित है। कतिपय विद्यालयों (परीक्षा केन्द्रों) मतदान केन्द्र भी निर्धारित किये गये है जिसके कारण परीक्षार्थियों एवं शिक्षकों में जो मतदाता है उन्हे मतदान में भाग लेने में कठिनाई सम्भावित है। उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर से इण्टरमीडिएट/हाईस्कूल परीक्षा कार्यक्रम-2011 भी प्राप्त हुआ है।

अत: मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या:–1945/रा0नि0आ0–3/1125/2010 देहरादून, दिनांक 03.03.2011 में उपरोक्त अपरिहार्य कारणों से निम्न प्रकार मतदान की तिथि व समय एवं मतगणना की तिथि व समय में संशोधन कर निम्नलिखित विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार कराये जाने का आदेश देता हूँ।

मतदान की संशोधित तिथि व समय	मतगणना की संशोधित तिथि व समय
1	2
06 अप्रैल, 2011 (प्रात: 08.00बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	08 अप्रैल, 2011 (प्रात: 08.00बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्रमश:........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने स्तर से उक्त संशोधित कार्यक्रम की सूचना दिनांक 17.03.2011 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संशोधित निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित प्रादेशक निर्वाचन क्षेत्र में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये संबंधित निकायों के निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त संशोधित कार्यक्रम का अपने जिले की संबधित निकायों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार--प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पटट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

अधिसूचना संख्या-1945/रा0नि0आ0-3/1125/2010 दिनांक 03.03.2011 में उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी तथा अन्य समस्त कार्यवाही पूर्वतः यथावत रहेगी।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 2046 (1)/ रा0नि0आ0-3/1125/2010 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी, /कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
13. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।

क्रमश:........3

14. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करा दें तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटोलिथो प्रेस, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 16 मार्च, 2011 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
17. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
18. गार्ड फाईल।

((हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।